प्रथम अपील अधिकारी, सूचना का अधिकार अधिनियम
एवं जिला कलक्टर उदयपुर
निर्णय द्वारा अध्यासित अरविन्द कुमार पोसवाल आई.ए.एस.

प्रकरण संख्याः 79/2024 (अपील सूचना का अधिकार)
ख्यालीलाल सुवालका पुत्र नन्दलाल सुवालका निवासीः ग्राम पलोदड़ा, तहसील–सराड़ा, जिला–सलूम्बर

..............अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर उदयपुर (राज.)

..................प्रत्यर्थी

प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 05-8-24

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत एक अपील प्रस्तुत कर प्रत्यर्थी के कार्यालय में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा (6)(1) के अन्तर्गत दिनांक 03.05.2024 को आवेदनपत्र प्रस्तुत कर सूचना चाही गई थी जिसमें प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने से क्षुब्ध होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी से अपील पर जवाब तथा सूचना उपलब्ध कराने हेतु जरिये पत्रांक रीडर/सू.अ./प्रथम अपील/79/24/828–29 दिनांक 08.07.2024 से लिखा गया।

जिसकी पालना में प्रत्यर्थी द्वारा जरिये पत्र कमांक प.41/2/लो.सू.अ./प्रथम अपील/79/2024/620 दिनांक 10.07.2024 से कार्यालय को अवगत कराया कि प्रार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्रदिनांक 09.05.2024 को प्राप्त हुआ। प्रार्थी द्वारा चाही गई वांछित सूचना संबंधित अनुभाग से प्राप्त कर प्रार्थी को इस कार्यालय के पत्राक 383 दिनांक 09.05.2024 द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7(1) एवं 7(5) के अंतर्गत निर्धारित शुल्क अनुसार नियमानुसार 2 रुपये प्रति पेज के माध्यम से कुल पृष्ठ संख्या 38 अनुसार 76/– रुपये राजकोष में जमा कराने हेतु सूचित कर दिया गया था किन्तु प्रार्थी द्वारा राशि राजकोष में जमा नहीं कराये जाने से सूचना उपलब्ध नहीं करवाई गई। अतः आप प्रार्थी को निर्देशित करें कि उनके द्वारा चाही जा रही सूचना प्राप्त करने हेतु नियमानुसार निर्धारित शुल्क राजकोष में जमा करा उक्त सूचना प्राप्त करे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी द्वारा चाही जा रही वांछित सूचना तैयार कर सूचना से संबंधित निर्धारित शुल्क 76 रुपये राजकोष में जमा कराने हेतु दिनांक 09.05.2027 को लिखा गया परन्तु अपीलार्थी द्वारा राजकोष में शुल्क जमा नहीं करवाये जाने से प्रत्यर्थी द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं करवाई गई। चूंकि अपीलार्थी द्वारा निर्धारित शुल्क राजकोष में जमा नहीं करवाया गया है ऐसी स्थिति में अपील अपीलार्थी खारीज की जाती है।

अपीलार्थी को परामर्श दिया जाता है कि वह लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक 09.05.2024 के अनुधार निर्धारित शुल्क राजकोष में जमा करा वांछित सूचना प्राप्त करे।

निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर उदयपुर एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ प्रेषित की जावें।

प्रकरण फैसल शुमार हो। बाद कार्यवाही दफ्तर दाखिल हों।

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
प्रथम अपील अधिकारी,
सूचना का अधिकार अधि.
एवं जिला कलक्टर, उदयपुर